न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 20/2020

1. कजोड पुत्र रामनिवास
2. कस्तूरी पत्नि रामनिवास
3. प्रेम पुत्री रामनिवास
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामनिवास
5. हरिसिंह पुत्र रामनिवास

समस्त जाति गुर्जर निवासी राजवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय रावत पैलेस के पीछे, आगरा रोड दौसा जरिये परियोजना निदेशक

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) एवं 3 एच नेशनल हाइवे एक्ट।

उपस्थित– 1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अप्रार्थी की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

Web Copy - Not Official

<u>निर्णय</u> दिनांक: 18.5.2022

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा ग्राम अलूदा तहसील नांगल राजावतान स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 192 से 194 व 197 में से अवाप्त भूमि का मुआवजा आदेश बारानी भूमि की दर से पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि भारतमाला परियोजना दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम अलूदा तहसील नांगल राजावतान में स्थित खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0 में से 0.9745है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 में से 1.11है0 भूमि को एन0एच0148 के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 वाके ग्राम अलूदा में सिंचाई खसरा नंबर 197 में 25 वर्ष पूर्व से बने हुए कुए से लगातार होती चली आ रही है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 जमाबंदी मे बारानी प्रथम दर्ज हो रही है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.10 10:42:03 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., गै0मु0खडडा दर्ज है, जबकि वास्तव में उक्त भूमि मौके पर चाही है व उक्त भूमि में दो फसली काश्त होती है और गिरदावरियों में उक्त भूमि सिंचित दर्ज है जो लगभग 25 वर्ष से सिंचित दर्ज है और उक्त भूमि में दोनों फसल काश्त होती है। खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है.,गै0मु0खडडा दर्ज हो रहा है, जबकि मौके पर कोई खडडा नही होकर भूमि समतल है। उक्त संपूर्ण भूमि में प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नंबर 197 में बने हुए चाह से सिंचाई करते चले आ रहे है। जमाबंदी में जो भूमि की किस्म का वर्गीकरण किया जाता है वह वर्गीकरण सैटलमेंट के दौरान किया जाता है। एक सैटलमेंट से दूरे सैटलमेंट तक वही वर्गीकरण रखा जाता है। जबकि भूमि पर मौके पर चाही है या बारानी इसका आधार गिरदावरी होती है और गिरदावरियों में प्रार्थिगणों की भूमि सिंचिंत दर्ज है और दो फसली काश्त होना दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा सिंचित दर से देय है जो नहीं दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्त की गई भूमि को जमाबंदी के आधार पर बारानी मानकर और बिना मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाये उक्त अवाप्त की गई भूमि को बारानी मानकर बारानी भूमि की दर से अवार्ड पारित कर दिया जबकि उक्त अवार्ड पारित करने से पूर्व उक्त भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाया जाना अपेक्षित था साथ ही मौके पर भूमि सिंचित है अथवा असिंचित इसकी भी रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 वाके ग्राम अलूदा की भूमि की सिंचाई खसरा नंबर 197 में बने हुए चाह से हो रही है। भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा मात्र जमाबंदी को आधार मानकर उक्त भूमि का मुआवजा बारानी भूमि की दर से तय कर दिया। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 वाके ग्राम अलूदा में कुल 2.74है. भूमि में से 2.35है0 भूमि अवाप्त की जा चुकी है। अब मात्र प्रार्थीगण के पास 0.39है0 भूमि शेष बची है जो रोड के दो तरफ हो गयी है। एक तरफ कुंआ आ गया है व दूसरी तरफ शेष बची हुई भूमि आ गई है। प्रार्थीगण का कुंआ भी अनुपयोगी हो गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा असिंचित दर से तय होने की जानकारी होते ही प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 4.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान ने तहसीलदार नांगल राजावतान से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.11.2019 में स्पष्ट बताया कि खसरा नंबर 197 में चाह बना हुआ है जिससे अवाप्त की गई संपूर्ण भूमि सिंचित होती है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार किया जिसमें उल्लेख है कि खसरा नंबर 192, 193, 194 व 197 में से अवाप्त भूमि का मुआवजा असिंचित दर से पारित किया गया है जबकि मौके पर उक्त भूमि खसरा नंबर 197 पर मौके पर कुआ बना हुआ है जिसके द्वारा उक्त खसरा नंबरान की सिंचाई होती है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में हमेशा दो फसली काश्त करते आ रहे है। यदि किन्ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul. Zaman Choudhary
Date: 2022.06.10 10:42:03 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

वर्ष में पटवारी हल्का ने काश्त दर्ज नहीं की तो वह गलती प्रार्थीगण की नहीं होकर पटवारी हल्का की है। पटवारी मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं करते है बल्कि खाली रेकार्ड में अपने हिसाब से फसल दर्ज कर खाना पूर्ति कर देते है। प्रार्थीगण अवाप्त भूमि का मुआवजा सिंचित दर से प्राप्त करने के अधिकारी है साथ ही उक्त भूमि खसरा नंबर 197 में बने हुए कुए का मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त करने के अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधकारी नांगल राजावतान उनके समक्ष जांच रिपोर्ट पहुंच जाने के बावजूद भूमि को बारानी मानकर भूमि का मुआवजा बारानी दर से पारित किया गया है एवं चाह का भी मुआवजा तय नहीं किया गया है। यद्यपि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 197 में बने हुए कुए को अवाप्त नहीं किया गया है परन्तु उक्त कुंआ नकारा हो गया है क्योंकि अवाप्त की गई भूमि के अलावा शेष रही भूमि में से कुआ रोड के दूसरी तरफ चला गया है तथा शेष बची हुई भूमि रोड के दूसरी तरफ रह गई है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त कुंए का भी मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम अलूदा तहसील नांगल राजावतान में स्थित खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0 में से 0.9745है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 में से 1.11है0 भूमि का मुआवजा सिंचित दर से एवं खसरा नंबर 197 में बने हुए चाह का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान को आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस में दलील दी कि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा व्यापक लोक हित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के किमी 170.8 से 210 किमी तक के भूखण्ड को फोर लेन करने हेतु भूमि अवाप्त करने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गई। भूमि अवाप्त करने हेतु उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के किमी 170.8 से 210 किमी तक के भूखण्ड को फोर लेन करने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 9.9.2018 को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक राष्ट्रदूत में हिन्दी भाषा में प्रकाशित करवाया। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अर्जन की जाने वाली भूमि के पक्षकार जिसका अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित निहित है, वे धारा 3 ए के तहत कोई आपत्ति हो, तो 21 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता सकता है। सक्षम प्राधिकारी प्राप्त आपत्तियों को धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को [illegible] अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया [illegible] अंतिम होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 192 से 194 व 197 [illegible] अवाप्तशुदा रकबा की मुआवजा राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer UL Zaman Choudhary
Date: 2022.06.10 10:42:03 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...4 पर

का निर्धारण उप पंजीयक नांगल राजावतान से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर से संबंधित राशि का मुआवजा राशि का निर्धारण राजस्थान सरकार के प्रभावी बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया जाकर मुआवजा निर्धारण किया गया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 192 किस्म बारानी 2 का अवाप्तशुदा रकबा 0.26है0 की मुआवजा राशि डीएलसी दर 8,11,974/–रू0 प्रति हैक्टर का बाजार मूल्य 2,11,113/–रू0 व उस पर 1.25से गुणन करते हुए 263891/–रूपये पर 100 प्रतिशत सोलेशियम 263891/–रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3 ए प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12354/–रू0 इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 5,40,137/–रू0, खसरा नंबर 193 किस्म गै0मु0खड्डा का अवाप्तशुदा रकबा 0.01है0 की मुआवजा राशि डीएलसी दर 8,11,974/–रू0 प्रति हैक्टर का बाजार मूल्य 8,120रू0 व उस पर 1.25से गुणन करते हुए 10150/–रूपये पर 100 प्रतिशत सोलेशियम 10150/–रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3 ए प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 475/–रू0 इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 20775/–रू0 आराजी खसरा नंबर 194 किस्म बारानी 2 का अवाप्तशुदा रकबा 0.9745है0 की मुआवजा राशि डीएलसी दर 8,11,974/–रू0 प्रति हैक्टर का बाजार मूल्य 7,91,268/–रू0 व उस पर 1.25से गुणन करते हुए 989086/–रूपये पर 100 प्रतिशत सोलेशियम 989086/–रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3 ए प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 46305/–रू0 इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 20,24,477/–रू0, आराजी खसरा नंबर 197 किस्म बारानी 2 का अवाप्तशुदा रकबा 1.1124है0 की मुआवजा राशि डीएलसी दर 8,11,974/–रू0 प्रति हैक्टर का बाजार मूल्य 9,03,240/–रू0 व उस पर 1.25से गुणन करते हुए 11,29,050/–रूपये पर 100 प्रतिशत सोलेशियम 1129050/–रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3 ए प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 52858/–रू0 इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 23,10,957की मुआवजा राशि का अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर तय किया गया है। प्रार्थीगण ने नितान्त गलत आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अवार्ड आदेश की पालना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी के कार्यालय में मुआवजा राशि जमा कराई जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी की किस्म 3 ए अधिसूचना के वक्त बारानी 2 व गै0मु0गडढा अंकित थी तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज भूमि की किस्म के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। प्रार्थीगण का कुंआ अवाप्त नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जितनी भूमि अवाप्त की गई है, उस संपूर्ण भूमि का मुआवजा मुताबिक अवार्ड आदेश की पालना में सक्षम प्राधिकारी के यहां जमा कराया जा चुका है। भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन एवं अन्य स्थावर संपत्तियों

निरंतर ...5 पर

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Chaudhary
Date: 2022.06.10 10:42:03 IST
Reason: SelfAttested

या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम अभियन्ता या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान है। जिसके अनुसार परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा के पत्र दिनांक 03.06.2019 के कम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबरान में प्रार्थीगण का कुआ अवाप्त नहीं किया गया है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई संरचना अवार्ड पारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) नांगल राजावतान का जवाब पत्रांक 1822 दिनांक 31.7.2020 के अनुसार भारतमाला परियोजना दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस वे निर्माण मे अवाप्त ग्राम अलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 192 से 194 व 197 में से भूमि अवाप्त की गई थी। जमाबंदी व चौसाला खसरा गिरदावरी संवत 2071–74 के अनुसार खसरा नंबर 192, 194 व 197 गिरदावरी संवत 2074 में सिंचित दर्ज ई व खसरा नंबर 197 संवत 2072 व 2074 में दो फसली दर्ज रिकार्ड है। अवाप्त भूमि के मुआवजे का मूल्यांकन करते समया जमाबंदी में भूमि की किस्म व चौसाला खसरा गिरदावरी के अवलोकन को आधार बनाया जाता है। एन0एच0148 एन की रोड सीमा में कुआ नहीं आ रहा है इसलिए कुए को अवार्ड में भाामिल नहीं किया गया है। अवाप्ताधीन भूमि का मूल्यांकन राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व चौसाला खसरा गिरदावरी के आधार पर कया गया है। सिंचित व असिंचित भूमि का निर्धारण पंजीयन विभाग के परिपत्रों के अनुसार गिरदावरी के अनुसार किया जाता है। तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी के अनुसार खसरा नंबर 197 में संवत 2075 में गेहूॅ 0.75है. सरसों 0.48है. सिंचित दर्ज है तथा संवत 2059 में 1.23है. में गेहूॅ सिंचित व संवत 2067 में गेहूॅ 1.00है0 संवत 2068 में गेहूॅ 0.70है. जौ 0.50है. संवत 2069 में जौ 0.50है. गेहूॅ 0.70है. सिंचित है। खसरा नंबर 194 में सवत 2059 में 1.24है0 संपूर्ण रकबे पर गेहूॅ सिंचित दर्ज है। उक्त खसरा नंबरों में इन संवत के अलावा अन्य वर्शो में फसल असिंचित दर्ज है। खसरा नंबर 197 के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबरान में एक से अधिक संवत में सिंचित फसल दर्ज नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी है कि सक्षम प्राधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजातवान द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम अलूदा तहसील नांगल राजावतान में स्थित कृषि खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0 में से [illegible]है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 में से 1.11है0 भूमि को एन0एच0148 के निर्माण [illegible] अवाप्त की गई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि की राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि की किस्म [illegible] बारानी 2 अंकित थी, के आधार पर मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। [illegible] पंजीयक से प्राप्त डीएलसी की तत्समय प्रचलित दर से मुआवजा आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण का खसरा नंबर 197 में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.10 10:42:03 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...6 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुंए को अवाप्त नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि के पारित मुआवजा राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा द्वारा जमा कराया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा अब गलत आधारों पर भुगतान की मांग की जा रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भारतमाला परियोजना दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम अलूदा तहसील नांगल राजावतान में स्थित कृषि खसरा नंबर 192 रकबा 0.26है0, खसरा नंबर 193 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 194 रकबा 1.24है0 में से 0.9745है0, खसरा नंबर 197 रकबा 1.23है0 में से 1.11है0 भूमि को एन0एच0148एन के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में बारानी 2 दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 197 में प्रार्थीगण का कुंआ स्थित है, किन्तु कुंआ अवाप्ताधीन भूमि में नहीं आ रहा है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा कुंए का भी मुआवजा मांगा जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। पत्रावली में संलग्न चौसाला खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया गया साथ ही तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार खसरा नंबर 197 में संवत 2075 में गेहूँ 0.75है. सरसों 0.48है. सिंचित दर्ज है तथा संवत 2059 में 1.23है. में गेहूँ सिंचित व संवत 2067 में गेहूँ 1.00है0 संवत 2068 में गेहूँ 0.70है. जौ 0.50है. संवत 2069 में जौ 0.50है. गेहूँ 0.70है. सिंचित है। खसरा नंबर 194 में सवत 2059 में 1.24है0 संपूर्ण रकबे पर गेहूँ सिंचित दर्ज है। उक्त खसरा नंबरों में इन संवत के अलावा अन्य वर्षों में फसल असिंचित दर्ज है। खसरा नंबर 197 के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबरान में एक से अधिक संवत में सिंचित फसल दर्ज नहीं है। उक्त आधार पर भूमि की किस्म सिंचित प्रमाणित नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा अनुचित आधारों पर अवाप्त भूमि की सिंचित दर से मुआवजे की मांग की जा रही है साथ ही कुंए का मुआवजा भी चाहा जा रहा है, जिसे हम खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल भुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.5.2022 को लिखवाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.10 10:42:03 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official